न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 27 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 09.10.2020

बरदा पुत्र औंकार जाति खटीक निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार देवली जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवली दिनांक 17.07.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक **26.02.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2352 / 2079 मे से रकबा 0.15 है0 किस्म गै.मु.शमशान वाके ग्राम संथली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 20 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है,ना ही अपीलांट ने उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण कर तारो की बाड एंव मिट्टी डाली है। पटवारी हल्का संथली ने अपीलांट के विरूद्व झूठी कब्जे की रिपोर्ट पेश की है,उसके द्वारा इस बाबत कोई सक्षम साक्ष्य भी पत्रावली पर पेश नही किये है।अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और नही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट को पूर्व मे सम्वत 20[illegible] [illegible] भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध मे कोई सक्षम साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है। [illegible] अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

932

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

साबित होता हो। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान मे अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी गै.मु.शमशान भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2352/2079 मे से रकबा 0.15 है0किस्म गै.मु.शमशान वाके ग्राम संथली तहसील देवली पर तारो की बाड कर,मिट्टी डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए प्रार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 156/2019 निर्णय दिनांक 25.09.2019 मे की गई बेदखली की कार्यवाही एंव मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की पटवारी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित होता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जे के संबंध मे तहसीलदार देवली से शपथ पत्र की प्रति भेजकर जांच करवाने पर तहसीलदार देवली ने उनके पत्र क्रमांक 50 दिनांक 29.01.2021 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 2352/2079 मे से रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम संथली पर अब वर्तमान मे अतिक्रमी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है और वर्तमान मे उक्त गै.मु.शमशान भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2020 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार देवली यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा [illegible] लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है [illegible] की राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार देवली हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.2.21

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner